an>

Title: Need to amend the Prohibition of Child Labour Act to save exploitation of children in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष जी, बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। देश में लगभग एक करोड़ से ज्यादा बच्चे होटल, ढाबे, ईंट-भट्टे, कालीन या चूड़ी फैक्टरी में बचपन तबाह करते रहते हैं।...(व्यवधान) बाल श्रम निवारण कानून के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगी है किंतु इन सभी स्थानों पर बाल श्रम जारी है।

12.13 hrs.

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Adhir Ranjan Chaudhary and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

बाल मजदूरी के कारणों में आम तौर पर गरीबी को प्रमुख माना जाता है, इसके अलावा अधिक जनसंख्या, सस्ता श्रम, बाल श्रम से जुड़े कानूनों का लागू नहीं होना, माता-पिता द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजा जाना ताकि परिवार की आमदनी बढ़ सके, जैसे कारण भी जिम्मेदार हैं। देश के पारम्परिक उद्योग धंधों के अलावा निर्यात से जुड़े उद्योगों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर लगे हुए हैं। तस्करी, गुलामी, शोषण और उत्पीड़न के शिकार मासूम बच्चे होते हैं। फुटबाल की सिलाई करते उनकी उंगलियों से रिसने वाले खून, अभ्रक की खदानों में धंस रहे मासूम बच्चों की निकल रही निरीह चीखें गलीचों में धागे के साथ बुने गए बचपन, पटाखा फैक्टिरयों में धमाकों में बिखरे मासूमों के बचपन ज़री एवं वस्त्र उद्योग के कारखानों में बच्चों की घुटन की कीमत पर मालामाल होती विदेशी कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाती हैं।

विरोधाभास तो यहां तक है कि जिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का दायित्व बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का है, उन्हीं के घरों में बाल श्रमिक सबसे ज्यादा घरेलू नौकरों के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि बाल श्रम को गहराई से समझने की, बचपन बचाने के लिए उस संवेदनशीलता की जरूरत है, जो अंतर्मन में दया भाव उपजाती है, साथ ही बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन करने की है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि पिछली लोकसभा के लंबित बाल श्रम प्रतिषेध संशोधन अधिनियम शीघ्र सदन में ला कर उसे पारित करने का सहयोग करें।

माननीय अध्यक्ष :

श्री शिवकुमार उदासि,

डॉ. संजय जायसवाल,

श्री देवजी एम. पटेल,

डॉ. किरिट पी. सोलंकी और

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको डॉ. विरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1230 hours.

...(*Interruptions*)

12.14 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty-Minutes

past Twelve of the Clock.